भारतीय स्टेट बैंक

केंद्रीय भर्ती एवं पदोन्नति विभाग, कॉरपोरेट केंद्र, मुंबई
(फोन: 022-2282 0427; फैक्स: 022-2282 0411; ईमेल: crpd@sbi.co.in)

भारतीय स्टेट बैंक में नियमित आधार पर विशेषज्ञ संवर्ग के अधिकारियों की भर्ती

विज्ञापन संख्या: CRPD/SCO-RMD/2020-21/21

आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्क का भुगतान: दिनांक 18.09.2020 से 08.10.2020 तक

भारतीय स्टेट बैंक विशेषज्ञ संवर्ग के निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है.
अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि बैंक की वेबसाइट **https://bank.sbi/careers** या **https://www.sbi.co.in/careers** पर दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें.

1. एक अभ्यर्थी केवल एक पद के लिए आवेदन कर सकता/सकती है.
2. पंजीकरण की प्रक्रिया तभी पूरी होगी जब बैंक में ऑनलाइन तरीके से शुल्क का भुगतान अंतिम तिथि को या उससे पहले कर दिया गया हो.
3. **अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आवेदन करने से पहले, वे यह सुनिश्चित करें कि वे पात्रता की तिथि को उक्त पद के लिए दिए गए मानदंडों को पूरा करते हैं.**
4. **अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे अपेक्षित सभी प्रलेख अपलोड करें (संक्षिप्त जीवन वृत्त, आईडी प्रमाण, आयु प्रमाण, शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि) ऐसा नहीं करने पर उन्हें योग्य अभ्यर्थियों की सूची में शामिल करने/साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने हेतु उनकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा.**
5. अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग और उनका साक्षात्कार उनके प्रलेखों के सत्यापन के बिना अनंतिम होगा. साक्षात्कार के समय (यदि बुलाया जाता है तो) अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए सभी विवरणों/प्रलेखों का उनकी मूल प्रतियों से सत्यापन करवाए जाने पर ही उनकी अभ्यर्थिता मान्य होगी.
6. **यदि अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है और वह पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता/करती है (आयु, शैक्षिक योग्यता और अनुभव आदि) तो उसे न तो साक्षात्कार में उपस्थित होने दिया जाएगा और न ही वह यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा/होगी.**
7. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती हैं कि वे बैंक की वेबसाइट **https://bank.sbi/careers** या **https://www.sbi.co.in/careers** को नियमित रूप से विवरणों और नई जानकारी हेतु देखें (इसमें छांट कर बुलाए जाने वाले/चयनित अभ्यर्थियों की सूची शामिल है). आवश्यक होने पर कॉल लेटर/सूचना मात्र ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी (कागजी प्रति नहीं भेजी जाएगी).
8. यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त होते हैं जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट में कट ऑफ अंक हैं (कट ऑफ प्वाइन्ट पर समान अंक), तो ऐसे अभ्यर्थियों को मेरिट में उनकी आयु के अवरोही क्रम में रखा जाएगा.
9. कृपया इस कार्यालय को कागजी आवेदन और अन्य प्रलेखों की प्रतियां न भेजें.
10. **सभी संशोधन/शुद्धि पत्र (यदि कोई) बैंक की उपर्युक्त वेबसाइटों पर ही अपलोड किये जायेंगे.**

क. पद स्वरूप/ग्रेड/रिक्त पद/आयु/चयन प्रक्रिया:

पद क्रं.	पद	ग्रेड	रिक्त-पद							आयु 01.04.2020 को (वर्ष में)		चयन प्रक्रिया
			यूआर	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	ईडब्ल्यूएस	कुल	एलडी(ओएल)	न्यूनतम	अधिकतम	
1.	रिस्क स्पेशलिस्ट – सेक्टर (स्केल-III) *	एमएमजीएस-III	4	1	-	-	-	**5**	1	25	30	शार्टलिस्टिंग और साक्षात्कार
2.	रिस्क स्पेशलिस्ट – सेक्टर (स्केल-II) #	एमएमजीएस-II	4	1	-	-	-	**5**	1	25	30	
3.	पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट (स्केल-II)	एमएमजीएस-II	3	-	-	-	-	**3**	1	25	30	
4.	रिस्क स्पेशलिस्ट – क्रेडिट (स्केल-III)	एमएमजीएस-III	2	-	-	-	-	**2**	1	25	30	
5.	रिस्क स्पेशलिस्ट – क्रेडिट (स्केल-II)	एमएमजीएस-II	2	-	-	-	-	**2**	1	25	30	
6.	रिस्क स्पेशलिस्ट – एंटरप्राइज (स्केल-II)	एमएमजीएस-II	1	-	-	-	-	**1**	-	25	30	
7.	रिस्क स्पेशलिस्ट – IND AS (स्केल-III)	एमएमजीएस-III	3	1	-	-	-	**4**	1	25	30	

*** जोखिम विशेषज्ञ – क्षेत्र (स्केल – III): क्षेत्र-वार पद (कुल 5) :** पावर-1, हाइड्रोकार्बन एवं पेट्रोरसायन -1, ईपीसी / निर्माण एवं सड़क – 1, रियल एस्टेट – 1, बड़े खाते / मुख्य समूह विश्लेषक-1

 # जोखिम विशेषज्ञ – क्षेत्र (स्केल – II) : क्षेत्र-वार पद (कुल 5) : आटोमोबाइल्स एवं आटो पुर्जे – 1, टेक्सटाइल्स – 1, खाद्य प्रसंस्करण -1, बहुमूल्य धातु, रत्न एवं आभूषण – 1, सेवा उद्योग जैसे आतिथ्य, अस्पताल, शिक्षा, आईटी आदि – 1

संक्षेपाक्षरः
श्रेणी: यूआर – अनारक्षित श्रेणी; **अ.जा. –** अनुसूचित जाति, **अ.ज.जा. –** अनुसूचित जनजाति; **अ.पि.व. –** अन्य पिछड़ा वर्ग; **पी.डब्ल्यू.डी.**-दिव्यांग व्यक्ति; **एलडी –** अस्थि कमजोर व्यक्ति; **ओएल -** एक पैर की बाधकता.

ग्रेड: एमएमजीएस III – मिडल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल **III, एमएमजीएस II –** मिडल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल **II**

नोट:

1. ओबीसी श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो लेकिन 'क्रीमी लेयर' से आते हैं, वे ओबीसी आरक्षण एवं आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होंगे. उन्हें अपनी श्रेणी 'सामान्य' या सामान्य (पीडब्ल्यूडी) के रूप में दर्शाना चाहिए.
2. ऊपर उल्लिखित आरक्षित रिक्त-पदों सहित रिक्त-पदों की संख्या अनंतिम है और यह बैंक की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार बदल सकती है.
3. **बैंक के पास किसी भी समय इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है.**
4. अजा/अजजा/ओबीसी अभ्यर्थियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र जमा करना होगा.
5. ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण चाहने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करना होगा कि वे 31.03.2020 को क्रीमी लेयर में नहीं आते है. साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा 01.04.2020 से साक्षात्कार की अवधि तक जारी किए गए ओबीसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें 'नॉन क्रीमी लेयर' वाक्य हो.
6. दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) अभ्यर्थी के लिए आरक्षण समस्तर है और सम्पूर्ण रिक्त-पदों (की संख्या) के अंदर है.
7. पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थी को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा.
8. अधिकतम आयु सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए दर्शाई गई है.
9. भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट उपलब्ध होगी.
10. ऐसे मामलों में जहाँ एक विशिष्ट क्षेत्र में अनुभव की आवश्यकता है, प्रासंगिक अनुभव प्रमाण पत्र में विशेष रूप से शामिल होना चाहिए कि अभ्यर्थी के पास उस विशिष्ट कौशल्य में अनुभव है.
11. ऐसे मामलों में यदि डिग्री/पोस्ट ग्रेजुएशन/व्यावसायिक योग्यता/डिप्लोमा के प्रमाणपत्र विशेषज्ञता का क्षेत्र नहीं निर्दिष्ट करते हैं, तो अभ्यर्थी को संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय से विशेष रूप से विशेषज्ञता का उल्लेख करने वाला प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा.

ख.	शैक्षणिक योग्यता/अनुभव का विवरण/तैनाती का संभवित स्थान:

पद क्र. सं.	पद	शैक्षणिक योग्यता (30.06.2020 को)	योग्यता-पश्चात अनुभव का विवरण (30.06.2020 को)	विशिष्ट कौशल	तैनाती का संभवित स्थान:#
1.	रिस्क स्पेशलिस्ट – सेक्टर (स्केल-III)	**मूल योग्यताएं:** (i) सनदी लेखाकार (सीए) अथवा (ii) सीएफए, अथवा (iii) एमबीए/पीजीडीएम (वित्त / डेटा एनालिटिक्स / बिजनेस एनालिटिक्स) या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में उसके समतुल्य (iv) एमएससी (सांख्यिकी) **अन्य योग्यता (वरीयता):** जीएआरपी द्वारा वित्तीय जोखिम प्रबंधक (एफआरएम) पीआरएमआईए द्वारा व्यवसाय जोखिम प्रबंधक एनआईबीएम से पीजीडीबीएम	पूरे क्षेत्र/उद्योग में डोमेन ज्ञान के साथ किसी वित्तीय संस्थान/रेटिंग एजेंसी/ब्रोकरेज फर्म में 4 वर्ष का योग्यता-पश्चात अनुभव, निम्नलिखित में से किसी भी क्षेत्र में प्राथमिक/द्वितीयक अनुसंधान में अनुभव, जोखिम मॉडलिंग में अनुभव, डेटा विश्लेषण, रिपोर्ट लेखन, आदि का अनुभव: a. पावर b. हाइड्रोकार्बन एवं पेट्रो-रसायन c. ईपीसी एवं सड़क d. रियल एस्टेट e. बड़े खाते/प्रमुख समूह विश्लेषक	*उत्कृष्ट संप्रेषण कौशल (मौखिक और लिखित भी) *समस्या समाधान अभिरुचित *विश्लेषणात्मक चिंतन *पॉयथन, आर, एसपीएसएस, एसएएस आदि जैसे एप्लिकेशनों पर काम करने में अनुभव *एमएस ऑफिस एप्लिकेशनों में, विशेष रूप से एमएस एक्सेल में प्रवीणता	मुंबई
2.	रिस्क स्पेशलिस्ट – सेक्टर (स्केल-II)		पूरे क्षेत्र/उद्योग में डोमेन ज्ञान के साथ किसी वित्तीय संस्थान/रेटिंग एजेंसी/ब्रोकरेज फर्म में 2 वर्ष का योग्यता-पश्चात अनुभव, निम्नलिखित में से किसी भी क्षेत्र में प्राथमिक/द्वितीयक अनुसंधान में अनुभव, जोखिम मॉडलिंग में अनुभव, डेटा विश्लेषण, रिपोर्ट लेखन, आदि का अनुभव: a. ऑटोमोबाइल और ऑटो कम्पोनेंट्स b. टेक्सटाइल्स c. खाद्य प्रसंस्करण d. बहुमूल्य धातु, रत्न एवं आभूषण e. सेवा उद्योग जैसे दूरसंचार, आईटी, आतिथ्य, अस्पताल, शिक्षा आदि		
3.	पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट (स्केल-II)		इष्टतम प्रतिलाभ के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों में पोर्टफोलियो प्रबंधन में 2 वर्ष का योग्यता-पश्चात् अनुभव.		
4.	रिस्क स्पेशलिस्ट – क्रेडिट (स्केल-III)		वित्तीय संस्थाओं/रेटिंग एजेंसियों/ब्रोकरेज फर्मों में ऋण जोखिम और जोखिम मॉडलिंग में 4 वर्ष का संबंधित योग्यता-पश्चात् जोखिम संबंधित कार्य अनुभव.		
5.	रिस्क स्पेशलिस्ट – क्रेडिट (स्केल-II)		वित्तीय संस्थाओं/रेटिंग एजेंसियों/ब्रोकरेज फर्मों में ऋण जोखिम और जोखिम मॉडलिंग में 2 वर्ष का संबंधित योग्यता-पश्चात् जोखिम संबंधित कार्य अनुभव.		
6.	रिस्क स्पेशलिस्ट – एंटरप्राइज (स्केल-II)		वित्तीय संस्थाओं/रेटिंग एजेंसियों/ब्रोकरेज फर्मों में उद्यम जोखिम और जोखिम मॉडलिंग में 2 वर्ष का संबंधित योग्यता-पश्चात् जोखिम संबंधित कार्य अनुभव.		
7.	रिस्क स्पेशलिस्ट – IND AS (स्केल-III)		वित्तीय संस्थाओं/रेटिंग एजेंसियों/ब्रोकरेज फर्मों में ऋण जोखिम और जोखिम मॉडलिंग में 4 वर्ष का संबंधित योग्यता-पश्चात् जोखिम संबंधित कार्य अनुभव.		

तैनाती का स्थान केवल सांकेतिक है. चुने गए अभ्यर्थी को भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है.

ग.	कार्य रूपरेखा तथा मुख्य दायित्व क्षेत्र (केआरए):

क्रं.	पद	संक्षेप में कार्य की प्रकृति और मुख्य दायित्व क्षेत्र (केआरए)
1.	रिस्क स्पेशलिस्ट – सेक्टर (स्केल-III)	**उत्तरदायित्व और कार्य :** **i. उद्योग अनुसंधान और बड़े खाते की रिपोर्ट** * मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से ऐतिहासिक प्रदर्शन विश्लेषण (रुझान, व्यवधान, आदि) करना * वित्तीय मॉडल धारणाओं को अद्यतन करने और बैंक के आगे देखने वाले समष्टि सेक्टर संबंधी दृष्टिकोण और प्रमुख बड़े खातों का दृष्टिकोण अद्यतन करने के लिए इस सेक्टर में सक्रिय रूप से घटनाक्रमों की निगरानी करना * लक्षित टीएटी के भीतर और न्यूनतम त्रुटियों के साथ रिपोर्ट का निर्माण सुनिश्चित करना * महत्वपूर्ण सेक्टर स्तर पर चर्चा करने और प्रमुख अवलोकनों पर प्रतिक्रिया का विनिमय करने के लिए क्रेडिट समीक्षा विभाग के भीतर सेक्टर क्रेडिट विशेषज्ञों के साथ संपर्क करना **ii. सेक्टर संबंधी** * इस सेक्टर से संबंधित सम्मेलनों, संगोष्ठियों, व्यापार संघ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठकों और अन्य बैंकरों, इक्विटी शोध विश्लेषकों और उद्योग नेताओं के साथ नेटवर्क में भाग लेना * इस सेक्टर पर आगे देखने वाला समष्टि दृष्टिकोण बनाने और प्रमुख बड़े खातों पर दृष्टिकोण विकसित करने के लिए इस सेक्टर की जमीनी स्तर की समझ पैदा करने के लिए इस सेक्टर के प्रमुख ग्राहकों के लिए प्राथमिक अनुसंधान (स्थल भ्रमण, ग्राहक बातचीत इत्यादि) करना * निवेशक प्रस्तुतियों, इस सेक्टर में अग्रणी खिलाड़ियों के लिए विश्लेषक अर्जन आह्वानों और वार्षिक आम बैठकों में भाग लेना * तेजी से बदलते बाजार में सेक्टर और कंपनी के दृष्टिकोणों को अद्यतन करने के लिए सार्वजनिक शोध प्रकाशनों और रिपोर्टों / ब्रोकरेज, फंड हाउस और स्वतंत्र विश्लेषण की टीकाओं के साथ-साथ व्यापार समाचारों की बारीकी से निगरानी करना. केआरए * उद्योग पर स्वतंत्र रूप से नज़र रखना और घटनाक्रमों का विश्लेषण * जोखिम अनावरण बनाम पॉलिसी सीमा में भिन्नता * विनियामक नीतियों के अनुपालन में उल्लंघनों की संख्या * जोखिम रिपोर्ट में देरी या त्रुटि की संख्या.
2..	रिस्क स्पेशलिस्ट – सेक्टर (स्केल-II)	

ग.	कार्य रूपरेखा तथा मुख्य दायित्व क्षेत्र (केआरए):

<table>
<tr><td>3.</td><td>पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट (स्केल–II)</td><td>उत्तरदायी:
* परिभाषित लक्ष्यों के विरुद्ध सक्रिय रूप से पोर्टफोलियो पर दृष्टि रखना और बेचे जाने वाले ऋणों की पहचान और मूल्य निर्धारण करके ऋण की द्वितीयक बिक्री की सुविधा प्रदान करना.
उत्तरदायित्व और कार्य:
i. पोर्टफोलियो निगरानी और अनुकूलन
* क्रेडिट गुणवत्ता, लाभप्रदता, जोखिम और अन्य गार्डरेल्स (संकेन्द्रण, पूँजी, आदि) के लिए पोर्टफोलियो की निगरानी करना.
* उद्योग के रुझानों, ग्राहकों की स्थितियों और संविभाग की संभावनाओं का मूल्यांकन करना
* कॉर्पोरेट बुक का आवधिक विश्लेषण करना और संभावित उचित स्थिति की अवसरों और चुनौतियों की पहचान करना
* पोर्टफोलियो अनुकूलन की दिशा में वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा पहचानी गई प्रमुख पहलों का प्रबंध करना
* पोर्टफोलियो उद्देश्यों / रणनीतियों को प्रेरित करने के लिए कई कार्यों के साथ संपर्क करना
* व्यावसायिक निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं में सहायता करने के लिए संवेदनशील भावी प्रोजेक्शन मॉडलों का निर्माण करना
* व्यावसायिक निर्णय प्रक्रिया में सहायता देने के लिए वास्तविक समय पोर्टफोलियो मापन उपकरण बनाना
ii. पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग
* पोर्टफोलियो के प्रदर्शन, लाभप्रदता और गुणवत्ता पर नियमित रिपोर्ट तैयार करना
केआरए:
* बैंक आरएआरओसी
* जोखिम अनावरण बनाम पॉलिसी सीमा में भिन्नता
* संरचित और बेचे गए ऋणों का मूल्य
* विनियामक नीतियों के अनुपालन में उल्लंघनों की संख्या
* जोखिम रिपोर्ट में देरी या त्रुटि की संख्या.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>रिस्क स्पेशलिस्ट – क्रेडिट (स्केल–III)</td><td rowspan="2">उत्तरदायित्व एवं कार्य:
* गुणवत्ता, भौगोलिक क्षेत्र, उद्योग, उत्पाद, परिपक्वता और बड़े एक्सपोजर समुच्चय में संकेंद्रण पर सीमा के संदर्भ में ऋण पोर्टफोलियो की निगरानी करना,
* यह सुनिश्चित करना कि बैंक के ऋण के संबंध में ऋण जोखिम की पहचान, मापने, कम करने, निगरानी और नियंत्रण के लिए पर्याप्त नीतियां और प्रणालियां लागू हों
* उधारकर्ताओं के विभिन्न समूहों के लिए ऋण जोखिम आकलन (सीआरए)/स्कोरिंग मॉडल विकसित करना
* जोखिम घटकों जैसे चूक की संभावना (पीडी), चूक पर हानि (एलजीडी) और चूक पर एक्सपोजर (ईएडी) को पूरा करना
* जोखिम से संबंधित नीतियों की आवधिक समीक्षा और जानकारी के प्रसार की व्यवस्था करना. विभिन्न परिभाषित मापदंडों पर बैंक के ऋण पोर्टफोलियो का विश्लेषण करना. जोखिम कारकों/संकेंद्रणों की पहचान और आकलन करना और उपचारात्मक कार्रवाई की सिफारिश करना
* ऋण जोखिम प्रीमियम (सीआरपी) की गणना करने और ब्याज दरों को तय करने के लिए सीपीपीडी/कारोबारी समूहों को सलाह देना
* मॉडल विकास, मॉडल की समीक्षा, रेटिंग संक्रमण अध्ययन
* आईआरबी परियोजना (परिचालन इकाइयों से डेटा संग्रह, जोखिम रेटिंग निर्धारकों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन, आरडीएम में डेटा लोड करने और पूंजी गणना के लिए ईडीडब्ल्यू के साथ समन्वय करना)
केआरए:
* ऋण जोखिम मॉडलिंग और वैधीकरण
* जोखिम अनावरण बनाम पॉलिसी सीमा में भिन्नता
* विनियामक नीतियों के अनुपालन में उल्लंघनों की संख्या
* जोखिम रिपोर्ट में देरी या त्रुटि की संख्या.</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>रिस्क स्पेशलिस्ट – क्रेडिट (स्केल–II)</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>रिस्क स्पेशलिस्ट – एंटरप्राइज (स्केल–II)</td><td>उत्तरदायित्व एवं कार्य:
* शीर्ष प्रबंधन के लिए एसबीआई और समूह संस्थाओं में जोखिम मापदंडों की प्रभावी पहचान, मूल्यांकन, निगरानी और रिपोर्टिंग
* बैंक के उद्यम व्यापी जोखिम वहन क्षमता ढांचे की समीक्षा करना और इसे कारोबारी इकाइयों में क्रमश: लागू करना और त्तिमाही निगरानी
* क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए एक जोखिम प्रबंधन ढांचा विकसित करना और आईसीएएपी दस्तावेज तैयार करना और उन्हें एक अंशांकित तरीके से जीआरएम नीति के दायरे में लाना.
* बैंक के लिए जोखिम संस्कृति ढांचे का विकास करना और उसका आकलन करना. जहां भी संस्कृति को कमजोर आंका जाता है, वहां उपयुक्त हस्तक्षेप (कारोबार इकाई /समूहवार) विकसित करना
* समूह जोखिम रूपांतरण परियोजना का कुशल संचालन और कार्यान्वयन
केआरए:
* बैंक आरएआरओसी
* जोखिम अनावरण बनाम पॉलिसी सीमा में भिन्नता
* संरचित और बेचे गए ऋणों का मूल्य
* विनियामक नीतियों के अनुपालन में उल्लंघनों की संख्या
* जोखिम रिपोर्ट में देरी या त्रुटि की संख्या.</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>रिस्क स्पेशलिस्ट – IND AS (स्केल–III)</td><td>उत्तरदायित्व एवं कार्य:
* ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (ख्वउठ) को परिभाषित करना
* चूक की संभावना (पीडी), चूक पर हानि (एलजीडी) और चूक पर एक्सपोजर (ईएडी) मॉडलों में अग्रवर्ती स्थूल आर्थिक कारकों का शामिल करना
* संपूर्ण ऋण पोर्टफोलियो के लिए पीआईटी पीडी और सर्वकालिक पीडी की गणना
* संपूर्ण ऋण पोर्टफोलियो के लिए दीर्घावधि औसम चूक पर हानि
* चूक की संभावना (पीडी), चूक पर हानि (एलजीडी) और चूक पर एक्सपोजर (ईएडी) मॉडलों की तिमाही आधार पर निगरानी करना
* उपर्युक्त सभी मॉडलों का वैधीकरण, वैधीकरण परिणामों के आधार पर मॉडलों का पुनर्विकास / पुन: अंशाकन
* इंड एएस के अनुसार निवशों के लिए ईसीएल कार्यविधि पर प्रक्रिया नोट शामिल करना और ईसीएल मॉडल की नियमित आधार पर निगरानी
* मूल्यांकन मैनुअल में निवेश के लिए अपनाई जाने वाली प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) और प्रक्रिया को परिभाषित करना.
केआरए:
* बैंक आरएआरओसी
* जोखिम अनावरण बनाम पॉलिसी सीमा में भिन्नता
* संरचित और बेचे गए ऋणों का मूल्य
* विनियामक नीतियों के अनुपालन में उल्लंघनों की संख्या
* जोखिम रिपोर्ट में देरी या त्रुटि की संख्या.</td></tr>
</table>

घ. पारिश्रमिक:

पद क्रं.	पद	संबद्धता का प्रकार	वेतनमान	
1.	रिस्क स्पेशलिस्ट – सेक्टर (स्केल–III)	नियमित	ग्रेड वेतनमान एमएमजीएस-II (31705-1145/1-32850-1310/10-45950) एमएमजीएस-III (42020-1310/5-48570-1460/2-51490)	परिलब्धियाँ केंद्र/स्थान वार अलग–अलग होंगी. अधिकारी समय–समय पर लागू नियमों के अनुसार डीए, एचआरए, सीसीए, पीएफ, अंशदायी पेंशन, एलएफसी, चिकित्सा सुविधा इत्यादि के पात्र होंगे.
2.	रिस्क स्पेशलिस्ट – सेक्टर (स्केल–II)			
3.	पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट (स्केल–II)			
4.	रिस्क स्पेशलिस्ट – क्रेडिट (स्केल–III)			
5.	रिस्क स्पेशलिस्ट – क्रेडिट (स्केल–II)			
6.	रिस्क स्पेशलिस्ट – एंटरप्राइज (स्केल–II)			
7.	रिस्क स्पेशलिस्ट – IND AS (स्केल–III)			

ङ. आवेदन कैसे करें:

अभ्यर्थियों का मान्य ईमेल आईडी हो जिसे परिणाम घोषित होने तक सक्रिय रखा जाए. इससे उसे अपना कॉल लेटर/साक्षात्कार संबंधी सूचना आदि ईमेल के माध्यम से प्राप्त करने में सहायता होगी.

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दिशा–निर्देश:

i. अभ्यर्थी एसबीआई की वेबसाइट **https://bank.sbi/careers** या **https://www.sbi.co.in/careers** पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपना ऑनलाइन पंजीकरण करेंगे और इन्टरनेट बैंकिंग/ डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड आदि का उपयोग करके आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

ii. अभ्यर्थी पहले तो अपने हाल के फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करें. ऑनलाइन आवेदन तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि अभ्यर्थी अपनी फोटो और हस्ताक्षर ऑनलाइन पंजीकरण पेज पर बताए अनुसार (‘दस्तावेज अपलोड कैसे करें’ के अंतर्गत) नहीं कर देता/देती.

iii. अभ्यर्थियों को आवेदन–पत्र सावधानीपूर्वक भरना चाहिए. आवेदन–पत्र पूरी तरह से भर जाने के बाद, अभ्यर्थी को इसे जमा (सब्मिट) करना चाहिए. अभ्यर्थी के एक ही बार में आवेदन न भर पाने की स्थिति में वह पहले से दर्ज जानकारी को सेव कर सकता है. जब भरी गई जानकारी/आवेदन सेव होता है, तो सिस्टम से एक अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड जनरेट होता है जो स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है. **अभ्यर्थी को पंजीकरण संख्या और पासवर्ड नोट कर लेना चाहिए.** वे पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके सेव किए गए आवेदन को फिर से खोल सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर विवरण को संपादित कर सकते हैं. सेव की गई जानकारी को इस तरह से बदल कर संशोधन करने की अनुमति मात्र तीन बार तक करने के लिए ही होगी. आवेदन जब पूरी तरह से भरा जाएगा तब अभ्यर्थी को चाहिए कि वह इसे प्रस्तुत करें और ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें.

iv. ऑनलाइन पंजीकरण हो जाने के बाद, अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे सिस्टम के बनाए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्रों का प्रिन्ट आउट ले लें.

शुल्क के भुगतान के लिए दिशा–निर्देश:

i. सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क और सूचना शुल्क (अप्रतिदेय) ₹750/- है (सात सौ पचास रुपए मात्र). **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग व्यक्ति के अभ्यर्थियों के लिए कोई शुल्क नही है.**

ii. शुल्क का भुगतान उपलब्ध भुगतान गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन ही करना होगा.

iii. आवेदन पत्र के विवरण सही हैं यह सुनिश्चित कर लेने के बाद अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के साथ समेकित रूप से भुगतान गेटवे के माध्यम से शुल्क का भुगतान करना होगा. इसके बाद आवेदन में कोई परिवर्तन/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी.

iv. भुगतान डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इन्टरनेट बैंकिंग आदि द्वारा स्क्रीन पर बताई जानकारी के अनुसार किया जा सकता है. ऑनलाइन भुगतान करते समय यदि कोई लेनदेन शुल्क लागू हो तो वह अभ्यर्थियों को ही वहन करना होगा.

v. भुगतान कार्य सफलतापूर्वक हो जाने के बाद अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने की तारीख के साथ ई–रसीद और आवेदन फॉर्म बनेगा जिसे प्रिन्ट कर अभ्यर्थी अपने पास रख ले.

vi. यदि पहली बार में शुल्क का भुगतान नहीं हो पाता है, तो ऑनलाइन भुगतान के लिए फिर से प्रयास करें.

vii. शुल्क विवरणों सहित ई–रसीद और आवेदन फॉर्म का प्रिन्ट फिर से करने का भी प्रावधान है.

viii. भुगतान किया गया आवेदन शुल्क किसी भी तरह से वापस **नहीं** लौटाया जाएगा, **न** ही इसे किसी अन्य परीक्षा या फिर भावी चयन के लिए समायोजित किया जाएगा.

च. प्रलेखों को अपलोड कैसे करें:

अ. अपलोड किए जाने वाले प्रलेखों का विवरण:

i. संक्षिप्त रिज्यूम (पीडीएफ)

ii. आईडी प्रमाण (पीडीएफ)

iii. जन्म तिथि का प्रमाण (पीडीएफ)

iv. शैक्षणिक योग्यता: संगत अंक तालिका/डिग्री प्रमाणपत्र (पीडीएफ)

v. अनुभव प्रमाणपत्र (पीडीएफ)

vi. अन्य (पीडब्ल्यूडी प्रमाणपत्र, फॉर्म–16/आयकर रिटर्न 31.03.2020 के अनुसार, वर्तमान वेतन पर्ची, आदि.

ब. फोटोग्राफ फाइल टाइप/साइज़:

i. पासपोर्ट आकार की हाल में खिंची हुई रंगीन फोटो.

ii. फाइल का आकार 20 केबी–50 केबी के बीच का और आयाम 200X230 पिक्सल तक होना चाहिए.

iii. यह सुनिश्चित कर लें कि फोटो रंगीन है, और सफेद या हल्के रंग की पृष्ठभूमि में लिया गया हो.

iv. तनावमुक्त होकर कैमरे में सामने की ओर देखें.

v. फोटो यदि धूप में ली गई हो तो सूरज आपके पीछे रहे या आप छाया में हों ताकि आपकी नज़र में तिरछापन न आए या फिर कोई भारी छाया न पड़े.

vi. यदि आपको फ्लैश का प्रयोग करना होता है, तो आप यह सुनिश्चित करें कि इसमें रैड–आई नहीं है.

vii. यदि आप चश्मा लगाते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि कोई परछाई नहीं पड़ रही है और आपकी आंखें साफ देखी जा सकती हैं.

viii. टोपी, हैट और गहरे रंग का चश्मा लगाया जाना स्वीकार्य नहीं है. धार्मिक प्रतीक पगड़ी आदि बांध सकते हैं लेकिन इससे आपका चेहरा न ढकने पाए.

ix. यह सुनिश्चित करें कि स्कैन किया गया चित्र 50 केबी से अधिक का नहीं है. फाइल का आकार यदि 50 केबी से अधिक का है, तो स्कैनिंग की प्रक्रिया के दौरान डीपीआई रिजोल्यूशन, रंगों की संख्या आदि जैसी बातें स्कैनर पर सेट करके समायोजित कर लें.

स. हस्ताक्षर फाइल का प्रकार/आकार:

i. आवेदक सफेद कागज पर काली स्याही के पैन से हस्ताक्षर करें.

ii. हस्ताक्षर आवेदक स्वयं करे न कि कोई अन्य व्यक्ति.

iii. कॉल लेटर तथा जहां आवश्यक होंगे वहां आपके हस्ताक्षर का प्रयोग किया जाएगा.

iv. यदि परीक्षा के समय उत्तर पुस्तिका पर आवेदक के हस्ताक्षर कॉल लेटर के हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते तो आवेदक अयोग्य हो जाएगा/ जाएगी.

v. फाइल का आकार 10 केबी–20 केबी के बीच का हो और आयाम 140X60 पिक्सल (अधिमानत:) हो.

vi. यह सुनिश्चित करें कि स्कैन किए गए चित्र का आकार 20 केबी से अधिक नहीं है.

vii. अंग्रेज़ी के बड़े अक्षरों में किए गए हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं होंगे.

द. प्रलेख की फाइल का प्रकार/ आकार:

i. सभी प्रलेख पीडीएफ प्रारूप में होने चाहिए.

ii. प्रलेख के पेज का आकार ए4 का हो.

iii. फाइल का आकार 500 केबी से अधिक का न हो.

iv. प्रलेख को यदि स्कैन किया जा रहा है तो आप यह सुनिश्चित करें कि इसे पीडीएफ के रूप में सेव कर लिया गया है और इसका आकार पीडीएफ के तौर पर 500 केबी से अधिक का नहीं है. फाइल का आकार यदि 500 केबी से अधिक का है तो स्कैनर की सेटिंग की प्रक्रिया के दौरान डीपीआई का रिजोल्यूशन, रंगों की संख्या आदि समायोजित करें. यह सुनिश्चित कर लें कि अपलोड किए गए प्रलेख साफ और पढ़े जा सकने लायक हैं.

य. फोटो/हस्ताक्षर/प्रलेखों को स्कैन करने हेतु दिशा–निर्देश:

i. स्कैनर के रिजोल्यूशन को कम से कम 200 डीपीआई (डॉट्स प्रति इन्च) पर रखें.

ii. कलर को ट्रू कलर पर सेट करें.

iii. फोटो/ हस्ताक्षर के किनारे तक क्रॉप करके फोटो को स्कैन करें फिर फोटो को अंतिम आकार (जैसा ऊपर बताया गया है) देने के लिए क्रॉप करने हेतु अपलोड एडिटर का प्रयोग करें.

iv. फोटो/ हस्ताक्षर की फाइल जेपीजी या जेपीईजी प्रारूप में हो (यानी फाइल का नाम image01.jpg या image01.jpeg दिखाई दे)

v. इमेज के आयाम फोल्डर/ फाइल की लिस्टिंग कर जांचे जा सकते हैं या फिर फाइल इमेज के आयकॅन पर माउस को घुमाकर इसे जांचा जा सकता है.

vi. जो अभ्यर्थी एमएस विन्डोज़/ एमएस ऑफिस का प्रयोग करते हैं, वे आसानी से फोटो और हस्ताक्षर जेपीईजी फार्मेट में पा सकते हैं जो कि क्रमश: 50 केबी और 20 केबी से अधिक न होगी, इसके लिए एमएस पेन्ट या एमएस ऑफिस पिक्चर मैनेजर का प्रयोग करना होगा. स्कैन किया गया फोटो या हस्ताक्षर किसी भी फार्मेट में जेपीजी (jpg) फार्मेट में सेव किए जा सकते हैं. इसके लिए फाइल मेन्यू में ‘सेव ऐज़’ के विकल्प का प्रयोग करना होगा. इमेज मेन्यू द्वारा क्रॉप और रिसाइज़ (बिंदु 1 और 2 ऊपर देखें जो कि पिक्सल आकार के लिए दिया हुआ है) विकल्प चुनकर फाइल के आकार को 50 केबी (फोटो) और 20 केबी (हस्ताक्षर) से कम कराया जा सकता है. इसी तरह से अन्य फोटो एडीटर में भी विकल्प उपलब्ध हैं.

vii. ऑनलाइन आवेदन फार्म भरते समय अभ्यर्थी को एक लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि वह अपने फोटो और हस्ताक्षर को अपलोड कर सके.

र. प्रलेख अपलोड करने की प्रक्रिया:

i. हर प्रलेख को अपलोड करने हेतु अलग से लिंक दिए गए हैं.

ii. ‘‘अपलोड’’ का संबंधित लिंक क्लिक करें.

iii. ब्राउज़ करके उस जगह को चुनें जहां कि जेपीजी या जेपीईजी, या पीडीएफ फाइल को सेव किया गया है.

iv. फाइल पर क्लिक कर इसे चुनें और अपलोड का बटन क्लिक करें.

v. आवेदन सबमिट करने से पहले प्रलेख अपलोड हो गया है और सही तरह से खुल रहा है, इस बात की पुष्टि करने के लिए प्रिव्यू क्लिक करें. यदि फाइल का आकार और प्रारूप बताए अनुसार नहीं है तो इसमें त्रुटि का संदेश आएगा.

vi. प्रलेख अपलोड हो जाने के बाद/ प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद संशोधित/ परिवर्तित नहीं हो सकेंगे.

vii. **ऑनलाइन आवेदन फार्म में फोटो/ हस्तातक्षर अपलोड कर दिए जाने के बाद अभ्यर्थी जांच लें कि फोटो साफ हैं और ये ठीक तरह से अपलोड हुए हैं**. फोटो या हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से यदि नहीं दिखें तो अभ्यर्थी अपने आवेदन को संशोधित कर सकता/ सकती है और अपने फोटो या हस्ताक्षर आवेदन फार्म प्रस्तुत किए जाने से पहले फिर से अपलोड कर सकता/ सकती है. **फोटो से चेहरा या हस्ताक्षर यदि स्पष्ट नहीं हैं तो अभ्यर्थी का आवेदन अस्वीकार किया जाएगा.**

छ. साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर:

साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर/सूचना ईमेल द्वारा भेजी जाएगी या बैंक की वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा. **कागजी प्रति नहीं भेजी जाएगी.**

ज. चयन प्रक्रिया:

उम्मीदवारों का चयन शार्टलिस्टिंग और साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा.

साक्षात्कार: न्यूनतम योग्यता और अनुभव होने मात्र से उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने का कोई अधिकार नहीं होगा. बैंक द्वारा गठित शार्टलिस्टिंग समिति शार्टलिस्टिंग मानदंडों को निर्धारित करेगी और उसके बाद बैंक द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार शार्टलिस्ट कर साक्षात्कार के लिए बुलाये जायेंगे. साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को बुलाये जाने का बैंक का निर्णय अंतिम होगा. इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जायेगा.

मेरिट सूची: चयन के लिए मेरिट सूची केवल साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर अवरोही क्रम में तैयार की जायेगी. एक से अधिक उम्मीदवारों द्वारा निर्दिष्ट अंक प्राप्त करने पर (निर्दिष्ट सीमा पर एक समान अंक होने पर), ऐसे उम्मीदवारों की मेरिट में उनकी आयु के आधार पर अवरोही क्रम में रैंक प्रदान की जायेगी.

झ. सामान्य जानकारी:

i. पद के लिए आवेदन करने से पहले आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह पद के लिए उपर्युक्तवर्णित योग्यता और अन्य मानदंडों को निर्दिष्ट तारीख को पूरा करता/ करती है और कि उसके द्वारा प्रस्तुत ब्यौरा सभी प्रकार से सही है.

ii. भर्ती की किसी भी अवस्था में यदि ऐसा पता चलता है कि कोई अभ्यर्थी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता/ करती है, तो और/ या यह कि उसने गलत/ झूठी जानकारी दी है या उसने कोई महत्वपूर्ण जानकारी (रियां) छिपाई हैं तो उसकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा. इनमें से यदि कोई बात उसकी नियुक्ति के बाद भी पता चलती है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है.

iii. आवेदक को सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन उचित रूप से तथा पूरी तरह से भरा हुआ हो.

iv. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति इस शर्त पर होगी कि वह बैंक की आवश्यकता के अनुसार चिकित्सीय रूप से उपयुक्त हो. यह नियुक्ति बैंक में इस पद हेतु बैंक में कार्यभार संभालते समय जो भी सेवा और आचरण नियम लागू होंगे उनके अध्यधीन होगी.

v. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे संप्रेषण जैसे कॉल लेटर/ साक्षात्कार की तारीख की सूचना, आदि प्राप्त करने के लिए अपने ई-मेल को सक्रिय रखें.

vi. किसी पत्र के मिलने में विलंब होने या न मिलने के लिए बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी.

vii. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार, जिनके लिए किसी आरक्षण का वर्णन नहीं किया गया है सहित, अनारक्षित श्रेणी के लिए घोषित रिक्त पदों के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं बशर्ते उन्हे अनारक्षित श्रेणी के लिए लागू पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करना होगा.

viii. जो अभ्यर्थी सरकार/ अर्ध-सरकारी कार्यालयों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता से लेकर अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा और वे यदि किसी यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे, तो उन्हें उसका भुगतान नहीं किया जाएगा.

ix. चयन की दशा में, अभ्यर्थी से अपेक्षा होगी कि वह नियुक्ति प्राप्त करते समय अपने नियोक्ता का उचित कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें.

x. अभ्यर्थियों को उन्हीं के हित के लिए यह सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख से पहले समय रहते ही ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर दें और वे अंतिम तारीख का इंतज़ार न करते रहें क्योंकि बाद में हो सकता है कि वेबसाइट को लॉग ऑन करने में डिसकनेक्शन/ अक्षमता/ फेलियर की स्थिति बन जाए इन्टरनेट पर हैवी लोड या फिर वेबसाइट जाम होने के कारण ऐसा हो जाए. यदि पूर्वोक्त कारणों से यदि एसबीआई के नियंत्रण से बाहर के किसी भी कारण से यदि अभ्यर्थी अपना आवेदन समय रहते नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए एसबीआई किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा.

xi. पात्रता, साक्षात्कार आयोजित किए जाने, अन्य. परीक्षाएं और चयन के सभी मामलों में बैंक के निर्णय अंतिम और सभी अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होंगे. इस संबंध में किसी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही इस संबंध में कोई पत्र-व्यवहार किया जाएगा.

xii. आवेदन में दी गई जानकारी बाद में गलत पाए जाने पर आवेदक पर दीवानी/ फौजदारी मुकदमा किया जा सकता है.

xiii. जहां भर्ती बिना लिखित परीक्षा के और केवल साक्षात्कार लेकर की जाती है, वहां मात्र पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर ही यह पर्याप्त नहीं होता है कि अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए. बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित रहता है कि वह अभ्यर्थी की आयु, योग्यता, अनुभव, उपयुक्तता आदि के संदर्भ को दृष्टिगत आरंभिक स्क्रीनिंग / छंटाई के बाद ही साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों की अपेक्षित संख्या में ही उन्हें बुलाए.

xiv. एकाधिक आवेदन के मामले में, केवल अंतिम वैध (पूर्ण) आवेदन को बरकरार रखा जाएगा और अन्य पंजीकरण के लिए भुगतान किया गया आवेदन शुल्क/ सूचना शुल्क जब्त कर लिया जाएगा. एक ही पद के लिए अभ्यर्थी के अलग-अलग तरह से प्रस्तुत होने पर उसे तुरंत ही अस्वीकार कर दिया जाएगा/ उसकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा.

xv. इस विज्ञापन और/ या इसके जवाब में आए आवेदन के कारण किसी दावे या विवाद की दशा में कानूनी कार्यवाहियां मात्र मुंबई और मुंबई स्थित न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों/ मंचों पर ही की जा सकती हैं. किसी भी मुकदमे/ विवाद की सुनवाई का एकल व अनन्य अधिकार क्षेत्र मुंबई ही होगा.

xvi. शॉर्टलिस्टिंग के बाद साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले बाहरी उम्मीदवारों को भारत में सबसे छोटे मार्ग से वास्तविक यात्रा के आधार पर (ट्रेन किराया एसी- III टियर - केवल मेल/एक्सप्रेस) द्वारा यात्रा करने की लागत या वास्तविक यात्रा लागत (जो भी कम हो) की प्रतिपूर्ति की जायेगी. स्थानीय परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी. पद के लिए अयोग्य पाये जाने पर उम्मीदवार को साक्षात्कार देने की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी और किसी प्रकार के किराये की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी.

xvii. बैंक को अधिकार होगा कि वह किसी भी अवस्था में पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दे.

यदि कोई पूछताछ करनी हो, तो **"CONTACT US/ Post Your Query"** इस लिंक पर हमें लिखें जो कि बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

(URL - https://bank.sbi/careers या https://sbi.co.in/careers)

यह विज्ञापन बैंक की वेबसाइट https://bank.sbi/careers या https://www.sbi.co.in/careers पर भी उपलब्ध है.

मुंबई
दिनांक: 18.09.2020

प्रिंटिंग में यदि कोई त्रुटि हो, तो बैंक इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा.
किसी भी विवाद की स्थिति मे अंग्रेजी मे ज़ारी विस्तृत विज्ञापन की शर्तें मान्य होंगी.

महाप्रबंधक
(सीआरपीडी)